वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांक: डी0एस0डब्लू/ 134 /2018–19 दिनांक : 02.07.2018

आवश्यक सूचना

विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययनरत् सभी छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सत्र 2018–19 के लिए शासन की वेब–साइट **http://scholarship.up.nic.in** पर दिनांक 01.07.2018 से 31.08. 2018 तक आनलाइन आवेदन फार्म भर सकते हैं। आवेदन फार्म में भरी गयी प्रविष्टियों की समुचित जाँच के उपरान्त ही फाइनल प्रिन्ट निकालें। आवेदन फार्म की हार्ड कापी समस्त संलग्नको सहित तत्काल दो प्रतियों में अपने–अपने विभागाध्यक्ष कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कर दें, अन्यथा की स्थिति में छात्र/छात्रा स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(प्रो0 अजय द्विवेदी)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:–
1–निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
2–वरिष्ठ आशुलिपिक कुलसचिव, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
3–विश्वविद्यालय वेबसाइट प्रभारी को इस आशय से प्रेषित कि साथ में संलग्न समय–सारणी एवं दिशा निर्देश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4–विश्वविद्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा करने हेतु।

(प्रो0 अजय द्विवेदी)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांक: डी0एस0डब्ल्यू/138/2018–19 **अति आवश्यक/समयबद्ध** दिनांक : 03.07.2018

प्रेषक,

अधिष्ठाता छात्र कल्याण
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय
जौनपुर।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,
विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रम,
वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

विषयः–दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति वर्ष 2018–19 हेतु सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का ऑनलाईन आवेदन फार्म भरने हेतु समय–सारणी एवं दिशा–निर्देश।

महोदय,

कृपया उपर्यांकित विषयक सम्बन्ध में अवगत कराना हैं कि वर्ष 2018–19 के लिये शासन द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का आनलाईन आवेदन फार्म भरने एवं जमा करने हेतु समय–सारणी एवं दिशा–निर्देश जारी कर दिया गया है, जिसके लिए निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना नितान्त आवश्यक है:–

1– विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले प्रथम वर्ष में तथा पुराने छात्र जो समान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं जिनके माता–पिता अथवा अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू0 2,00,000/–(दो लाख) एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र/छात्राओं के

माता–पिता अथवा अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक 250000 (दो लाख पचास हजार) से अधिक न हो वे नया आवेदन फार्म शासन की वेब–साइट scholarship.up.nic.in पर दिये गये निर्देश एवं नियम के अनुसार 1 जुलाई 2018 से 31 अगस्त 2018 तक भर सकते हैं।

2– जिन छात्र/छात्राओं द्वारा वर्ष 2017–18 में आवेदन फार्म भरा गया था, वे चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में **नवीनीकरण** के द्वारा आवेदन फार्म शासन की वेब–साइटscholarship.up.nic.in पर दिये गये निर्देश के अनुसार 1 जुलाई 2018 से 31 अगस्त 2018 तक भर सकते है उनके लिए भी बिन्दु–1 पर दिये गये निर्देश एवं नियम लागू होंगे।

3– छात्र/छात्राओ को दशमोत्तर छात्रवृति आवेदन फार्म के साथ निम्नलिखित अभिलेख/प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है–

- माता, पिता, अभिभावक का आय प्रमाण पत्र तथा उसकी स्वप्रमाणित नेट कापी
- जाति प्रमाण पत्र तथा उसकी स्वप्रमाणित नेट कापी।
- निवास प्रमाण पत्र तथा उसकी स्वप्रमाणित नेट कापी।
- संस्थान में जमा शुल्क की रसीद की छाया प्रति जो संस्थान के विभागाध्यक्ष से सत्यापित हो। यदि छात्र/छात्रा **नेए0के0टी0यू0**के माध्यम से इस सत्र में प्रवेश लिए हो तो काउन्सिलिंग के समय जमा किए गए शुल्क रसीद की स्वप्रमाणित छाया प्रति।
- विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययनरत छात्र गतवर्ष के अंक पत्र **(इवेन सेमेस्टर)** की छाया प्रति जो विभागाध्यक्ष से सत्यापित हो तथा जो छात्र नव प्रवेशित है वे अपना अंक प्रत्र स्वयं प्रमाणित करेंगे।
- हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट के अंकपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- छात्रावास में रहने की स्थिति में वार्डन द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र।
- चीफ प्राक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र कि छात्र/छात्रा के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक की कार्यवाही नहीं की गयी है और उनके उपर इस सम्बन्ध में कोई जांच कार्यवाही नहीं–

P.T.O.-2

चल रही है।

- छात्र/छात्रा द्वारा इस आशय का घोषणा पत्र संलग्न करना होगा कि यदि मैं वर्तमान सत्र में 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं पूर्ण कर पाता हूँ तो प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति को वापस कर दूँगा/दूँगी।
- बैंक पास बुक की छाया प्रति जिसमें खाता संख्या एवं आई0एफ0सी0 कोड पठनीय हो।
- छात्र/छात्रा द्वारा दिया गया रू0 10 का नोटरी शपथ पत्र (संस्थान में प्रवेश तथा बैंक खाता के सम्बन्ध में)।
- छात्र के माता, पिता अथवा अभिभावक द्वारा आय के सम्बन्ध में रू0 10 का नोटरी शपथ पत्र।
- यदि वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश एवं गत परीक्षा उत्तीर्ण होने के समय में अन्तराल हो तो अन्तराल (गैप) के सम्बन्ध में रू0 10 का नोटरी शपथ पत्र।
- छात्र/छात्रा द्वारा दिया गया स्वप्रमाणित घोषणा पत्र की आवेदन फार्म में भरी गयी सभी प्रविष्टियाँ सत्य है और आवेदन पत्र में दिये गये कोई विवरण/तथ्य मिथ्या पाये जाते है तो मेरे विरूद्ध विधि के भा0दि0वि0 1960 की धारा 199 व 200 एवं प्रभावी किसी अन्य विधि के लिये स्वयं उत्तरदायी होऊंगा/होऊंगी।

4– वे छात्र जो किसी कारण पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में आवेदन फार्म नहीं भर सके थे और वर्तमान में पाठ्यक्रम के द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ष में अध्ययनरत है, नये छात्र के रूप में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का आवेदन फार्म भर सकते हैं। उनके लिये भी बिन्दु 1 और 3 में दिये गये दिशा निर्देश व नियम लागू होगे।

5– छात्र/छात्राए पाठ्यक्रम के जिस वर्ष (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ) में अध्ययनरत हैं उसकी सम्पूर्ण वार्षिक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन कर सकते हैं। सत्र के एक सेमेस्टर की फीस जमा करने वाले छात्र/छात्रा के आवेदन पत्र पर विचार नहीं होगा क्योंकि संस्थान में जमा वार्षिक शुल्क की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में की जाती है।

6– आवेदन फार्म के सभी कालम पूर्णरूप से अक्षरशः भरा जाना आवश्यक है।

7– छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन फार्म में छात्र/छात्राओं द्वारा विश्वविद्यालय का नामाकंन संख्या एवं आधार संख्या तथा सभी कालम पूर्णरूप से सही–2 भरा जाना आवश्यक है।

8– आनलाईन आवेदन फार्म में की गयी त्रुटियों को छात्र/छात्राओं द्वारा ठीक किये जाने हेतु राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जायेगा। प्रदर्शित त्रुटियों को छात्र द्वारा आनलाईन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 3 कार्य दिवस में त्रुटियाँ ठीककर ही समस्त संलग्नकों सहित (बिन्दु 3 के अनुसार) अपने विभागाध्यक्ष कार्यालय में 06 दिन के अन्दर जमा करना अनिर्वाय होगा। ऐसा न करने की स्थिति में आवेदन फार्म को (विश्वविद्यालय स्तर पर) संस्था द्वारा प्राथमिक स्तर पर ही निरस्त कर दिया जायेगा जिसके लिये छात्र/छात्रा स्वयं जिम्मेदार होंगे।

9–शासनादेश के अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु छात्र/छात्रा को विगत पाठ्यक्रम की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण/प्रमोटेड होना अनिवार्य है। जहाँ सेमेटर सिस्टम लागू है वहाँ आवेदन फार्म के गत वर्ष का प्राप्तांक एवं पूर्णांक वाले कालम में द्वितीय समेस्टर **(Even Semester)**के प्राप्तांक एवं पूर्णांक को वार्षिक परीक्षाफल के रूप में अंकित किया जायेगा तथा नानरिफण्डेबल वाले कालम में वार्षिक शुल्क अंकित किया जायेगा।

10–सभी छात्र/छात्राऐं आनलाईन आवेदन फार्म (हार्ड कापी) का तीन सेट तैयार करेगें जिसमें से दो सेट अपने विभागाध्यक्ष के यहाँ जमा करेंगें तथा वही से उसकी **प्राप्ति रसीद**भी प्राप्त करेगें। छात्र/छात्रओं के आवेदन फार्म सीधे अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में जमा नहीं किए जायेगें।

11–संस्थान/विभागाध्यक्ष छात्र/छात्राओं से प्राप्त आवेदन फार्म के दो प्रति अपने यहाँ जमा करेगें तथा प्रत्येक छात्र के आवेदन फार्म की एक प्रति शासनादेश के अनुसार अपने यहाँ 10

P.T.O.-3

वर्षो तक सुरक्षित रखेगें तथा समान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अनुसार तैयार कर **आवेदन फार्म के मूल प्रति** तथा उसकी सूची वर्गवार तैयार कर प्रत्येक शुक्रवार को पूर्वान्ह् 2:00 बजे तक अनिवार्य रूप से डी0एस0डब्लू कार्यालय में जमा करेगें ताकि अगले दिवस (प्रत्येक शनिवार) को आवेदन फार्म मा0 कुलपति महोदय द्वारा गठित अग्रसारण/जांच कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सके और जांचोपरान्त ऑनलाइन अग्रसारित किया जा सके।

12–सभी विभागाध्यक्ष इस बात का विशेष ध्यान दें कि शासनादेश के अनुसार मुस्लिम, सिख, ईसाई, व जैन धर्म के छात्र/छात्राएं अल्पसंख्यक वर्ग में ही आवेदन फार्म भरेगें, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग अथवा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग में कदापि आवेदन नहीं करेगें, अन्यथा की स्थिति में उनके आवेदन फार्म स्वीकार न किया जाय।

13–समस्त विभागाध्यक्ष छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन फार्म अग्रसारित करने के पूर्व जांचकर यह सुनिश्चित कर लें कि छात्र/छात्रा वर्तमान सत्र में प्रवेशित है, पूर्ण वार्षिक शुल्क जमा किया है, विगत कक्षा उत्तीर्ण/प्रमोटेड है, समस्त पूरित किये गये कालम अक्षरशः पूर्णरूप से त्रुटिरहित भरे गये हैं तथा बिन्दु 03 में दिये गये निर्देश एवं नियम के अनुसार समस्त अभिलेख संलग्न है। अग्रसारित किए गए छात्र/छात्राओं की सूची तथा प्रत्येक छात्र/छात्रा के मूल आवेदन फार्म समस्त संलग्नकों सहित **प्रत्येक शुक्रवार** को अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में 02:00 बजे तक उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करें।

14–गलत, फर्जी, त्रुटिपूर्ण आवेदन–फार्म सत्यापित/अग्रसारित करने वाले संस्थान के विरूद्ध नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत **शासनादेश के अनुसार एफ0आई0आर0** दर्ज कराये जाने की व्यवस्था है अतएवं आवेदन फार्म सत्यापन/अग्रसारण के पूर्व पूर्ण सतर्कता अपेक्षित है।

15–छात्र/छात्रा के माता/पिता अथवा अभिभावक यदि**वेतन भोगी हैं** तो उनके नियोक्ता द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र भी आवेदन फार्म के साथ संलग्न करेंगे जिससे उनके वार्षिक आय की गणना की जा सके।

16–शासनादेश संख्या 1172/52–3–2017–14(72)/95टी0सी0 दिनांक 07.07.2017 के बिन्दु संख्या–15 (i) के अनुसार सभी छात्र/छात्राओं को अपने छात्रवृत्ति आवेदन फार्म के साथ चीफ प्राक्टर से प्रमाणित इस आशय का घोषणा–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं चतुर्थ वर्ष में आवेदक किसी **अनुशासनहीनता** की कार्यवाही की परिधि में नहीं है।

17–ऐसे छात्र/छात्रा जो पिछली कक्षा/सेमेस्टर में 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किये हो वे इस योजना के पात्र नहीं है।

18–सभी विभागाध्यक्ष अपने विभाग द्वारा अग्रसारित/सत्यापित किये गये छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन फार्म तथा उसकी **अन्तिम सूची दिनांक 07.09.2018 तक अनिवार्य रूप से अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें** अन्यथा उसके बाद प्राप्त होने वाली आवेदन फार्म के लिए अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

19–शासनादेश के अनुसार यदि आपके विभाग में अध्ययनरत् कोई अपात्र छात्र/छात्रा विभागाध्यक्ष की संस्तुति/सत्यापन के उपरान्त छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त कर लेता है तो उसके लिए विभागाध्यक्ष जिम्मेदार होंगे।

20–शासनादेश संख्या 101/2017/आर–1614/26–3–2017–4(358)/07टी0सी0 दिनांक 23 जून 2017 के नियम–06 (xviii) के अनुसार शैक्षिक सत्र में 75 प्रतिशत या उससे उपर उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी। उक्त उपस्थिति प्रमाणित करने का उत्तरदायित्व संस्था का होगा। यदि किसी छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है तो छात्र को भुगतानित शुल्क की धनराशि वापस करनी होगी। इस सम्बन्ध में छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन फार्म के साथ

P.T.O.-4

इस आशय का घोषणा–पत्र संलग्न करना होगा कि मैं वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण कर लूंगा/लूंगी यदि ऐसा करने में असफल रहता हूँ/रहती हूँ तो छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति वापस कर दूंगा/दूंगी।

21–छात्र/छात्राओं के द्वारा आवेदन फार्म के साथ संलग्न सभी प्रपत्र को स्वप्रमाणित करना है तथा आवेदन फार्म, फोटोग्राफ, शुल्क रसीद एवं अंक पत्र को विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित करवाना होगा।

22–यदि कोई छात्र/छात्रा अध्ययन के दौरान संस्थान/पाठ्यक्रम छोड़कर बीच में ही अन्यत्र चला जाता है और छात्रवृत्ति आवेदन फार्म जमा किया हो तो विभागाध्यक्ष द्वारा उसकी सूचना तत्काल अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय को अनिवार्य रूप से दिया जाय ताकि सम्बन्धित छात्र/छात्रा की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि पर रोक लगवाई जा सके।

अतः समस्त विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि अपने विभाग में अध्ययनरत् पात्र छात्र/छात्राओं को समय से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन फार्म भरने हेतु सूचित/अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय
03/07/18
(प्रो0 अजय द्विवेदी)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

1– निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

2– वरिष्ठ आशुलिपिक वित्त अधिकारी, वित्त अधिकारी के सूचनार्थ
3– वरिष्ठ आशुलिपिक कुलसचिव, कुलसचिव के सूचनार्थ।
4–परीक्षा नियत्रंक को सूचनार्थ।
5– समस्त डीन, विश्वविद्यालय परिसर पाठ्यक्रम को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के कार्य को अपने स्तर से पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
6– चीफ प्राक्टर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7– चीफ वार्डन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8– श्री अमित वत्स, प्रभारी रिजल्ट प्रोसेसिंग को इस आशय के साथ प्रेषित कि छात्र/छात्राओं के परीक्षा फल को स्कालरशिप पोर्टल पर समयावधि में अपलोड करने के साथ उसकी एक शाफ्ट कापी अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय को भी उपलब्ध करायें।
9–वेब मास्टर को इस आशय के साथ प्रेषित की उपरोक्त सूचना एवं साथ में संलग्न प्रपत्र/प्रारूप को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10– समस्त विभागों के सूचना पट्ट पर चस्पा करने हेतु

(प्रो0 अजय द्विवेदी)अधिष्ठाता छात्र कल्याण